न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या --140/2019 (Bank Case)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर--302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

— प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. कपिल अग्रवाल पुत्र श्री दाउ दयाल अग्रवाल (ऋणी / बंधककर्ता)
   निवासी-- 2361 के, माधव स्कूल के पास, ईटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा--325004, राजस्थान।
2. शिमला अग्रवाल पत्नी श्री दाउ दयाल (सहऋणी)
   निवासी-- सरोवर नगर, वार्ड नम्बर 26 ईटावा, जिला कोटा--325004, राजस्थान।
3. नन्द किशोर पुत्र श्री बाबू लाल (जमानती)
   निवासी-- 232, बाजार गणेशगंज, ईटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा--325004, राजस्थान।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर--302004, राज0 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.09.2017 को रूपये 7,00,000/--(अक्षरे: रूपये सात लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लाट स्थित खसरा नं0 3269/1046, रकबा 0.0100 है0, ग्राम ईटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राजस्थान पर स्थित हैं, माप लगभग 1087 वर्ग फीट हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 7,05,825/-- (अक्षरे रूपये सात लाख पांच हजार आठ सौ पच्चीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 29.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 14.06.

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "**इण्डियन एक्सप्रेस**" में दिनांक 01.09.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "**इण्डियन एक्सप्रेस**" में दिनांक 01.09.2019 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "**इण्डियन एक्सप्रेस**" में दिनांक 01.09.2019 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लाट स्थित खसरा नं0 3269/1046, रकबा 0.0100 है0, ग्राम ईटावा, तहसील** पीपल्दा, जिला **कोटा राजस्थान पर स्थित हैं, माप लगभग 1087 वर्ग फीट हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के सक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner